सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति
(2021-2022)

सत्रहवीं लोकसभा

80

अस्सीवां प्रतिवेदन

[गृह कल्याण केंद्र (जीकेके), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में समिति द्वारा अपने 38वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।]

(04.04.2022 को लोक सभा मेँ प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अप्रैल 2022/ चैत्र,1944(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की सरंचना (2021-2022)		(iii)
प्राकथन		(v)
प्रतिवेदन	गृह कल्याण केंद्र (जीकेके), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में समिति द्वारा अपने 38वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	**1**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला उत्तर।	3
परिशिष्ट-II	समिति की 22.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश का उद्धरण	9

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

लोकसभा

(2021-2022)

श्री रितेश पांडेय - **सभापति**

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री उत्तम चंद भारदवाज - अपर निदेशक
3. श्रीमती रजनी भगत - अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर गृह कल्याण केंद्र (जीकेके), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित 38वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 80वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. 38वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)10.08.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने (डीओपीटी)38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियोंसिफारिशों / पर की गई कार्रवाई का उललेख करते हुए 01.02.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 22.03.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
28 मार्च, 2022
7 चैत्र ,1944 (शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022), लोक सभा

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) द्वारा अपने 38वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा), जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **(डीओपीटी**) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गृह कल्याण केंद्र **(जीकेके),** नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले से संबंधित था और जिसे दिनांक 10.08.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है।

2. समिति ने अपने 38वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में 06 टिप्पणियाँ/सिफ़ारिशें की थीं। उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 06 सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर 01 फरवरी, 2022 को प्राप्त हो गए थे। तदनुसार, 38वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-I** में दिया गया है।

3. समिति नोट करती है कि डीओपीटी जीकेके, नई दिल्ली पर मूल प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 03 महीने के निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहा था।

समिति, डीओपीटी और जीकेके, दोनों द्वारा अब तक किए गए प्रयासों से असंतुष्ट है, क्योंकि समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान जीकेके के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, कि इन दो वर्षों के आवश्यक दस्तावेज उस वर्ष (2020) के शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रखे जाएंगे, उन्होंने वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के लिए जीकेके के अपेक्षित दस्तावेज 02.02.2022 को क्रमशः 37 और 25 माह के विलंब से सभा पटल पर रखे। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के लिए

आवश्यक दस्तावेज भी आज तक संसद के समक्ष सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं। समिति आशा करती है कि आगामी सत्र में जीकेके के इन लंबित अपेक्षित दस्तावेजों को संसद के समक्ष सभा पटल पर रखा जाएगा।

4. इसके अलावा, अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, डीओपीटी ने बताया कि इस मंत्रालय द्वारा जीकेके को भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सारिणी का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। समिति डीओपीटी और जीकेके से सिफ़ारिश करती है कि वे संसद के समक्ष संगठन के आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में इस समिति की सिफारिशों और इन दस्तावेजों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करें, ताकि 2021-2022 से जीकेके के अपेक्षित दस्तावेज संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर, तक सभा पटल पर रखे जा सकें।

नई दिल्ली **रितेश पांडेय**

22 मार्च, 2022 **सभापति**

1 चैत्र ,1944 (शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

लोक सभा

परिशिष्ट-I

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला उत्तर।

गृह कल्याण केंद्र (जीकेके), नई दिल्ली

सिफारिश/टिप्पणी क्रमांक 16

समिति यह जानकर निराश है कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) और गृह कल्याण केंद्र (जीकेके), नई दिल्ली, दोनों वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर सभा पटल पर रखने के बारे में सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 237 का पालन करने में विफल रहे हैं। समिति ने देखा कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए जीकेके के अंतिम वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा लेखे सभा पटल रखे गए थे, वह भी 23 महीने से अधिक की देरी के साथ। जबकि, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 के दस्तावेज सभा पटल पर रखने के लिए क्रमश: 31.12.2018, 31.12.2019 और 31.12.2020 की निर्धारित तिथि के मुकाबले अभी तक नहीं रखे गए हैं। समिति आगे चिंता के साथ नोट करती है कि पिछले तीन वर्षों में यानी 2013-14 से 2015-16 तक, मंत्रालय आवश्यक दस्तावेजों को समय पर, केवल एक बार यानी वर्ष 2015-16 में समय पर रखने में कामयाब रहा था। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दस्तावेज क्रमशः 02 महीने और 04 महीने की देरी से रखे गए थे। हालांकि, जीकेके एक नेक काम कर रहा है, लेकिन समिति इन दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर रखने के लिए अपने संसदीय दायित्व को पूरा करने में मंत्रालय और जीकेके दोनों द्वारा दिखाए गए उदासीन रवैये से बहुत निराश है।

सरकार का उत्तर

यह नम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि लेखापरीक्षित लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रासंगिक अवधि के दौरान मौजूदा परिस्थितियों के कारण जीकेके की वार्षिक प्रतिवेदन को संसद में रखने में देरी हुई। इस मंत्रालय द्वारा जीकेके को सलाह दी गई है कि भविष्य में इस मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए इस विभाग द्वारा निर्धारित समय सारिणी का सख्ती से पालन करें।

(कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का.ज्ञा. संख्या 29/04/2020-कल्याण दिनांक 14.01.2022)

सिफारिश/टिप्पणी क्रमांक 17

समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 के लिए जीकेके बोर्ड का गठन न होने के कारण देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्वीकृति प्राप्त करने में देरी हुई। समिति का दृढ़ मत है कि बोर्ड का गठन एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे मंत्रालय द्वारा समय पर देखा जाना चाहिए था ताकि जीकेके के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं सहित महत्वपूर्ण निर्णयों और दस्तावेजों के समय पर अनुमोदन की अनुमति मिल सके। समिति भविष्य में इसी तरह की देरी से बचने के लिए मंत्रालय को अपने नियंत्रण में निकायों के प्रशासनिक मामलों में तेजी से कार्य करने का सख्ती से निर्देश देती है।

सरकार का उत्तर

यह नम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि लेखापरीक्षित लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रासंगिक अवधि के दौरान मौजूदा परिस्थितियों के कारण जीकेके के वार्षिक प्रतिवेदन को संसद में रखने में देरी हुई। इस मंत्रालय द्वारा जीकेके को सलाह दी गई है कि भविष्य में इस मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए इस विभाग द्वारा निर्धारित समय सारिणी का सख्ती से पालन करें।

(कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का.ज्ञा. संख्या 29/04/2020-कल्याण दिनांक 14.01.2022)

सिफारिश/टिप्पणी क्रमांक 18

समिति आगे यह नोट करने के लिए विवश है कि जीकेके ने वर्ष 2016-17 के लिए जून 2019 में बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद भी दस्तावेजों का अनुवाद और मुद्रित करने में 05 और महीने का समय लिया। समिति मंत्रालय को दृढ़ता से निर्देश देती है कि वह बड़ी कर्मठता के साथ एक ठोस समय सारिणी तैयार करे जिसमें लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से लेकर इन दस्तावेजों को संसद के समक्ष सभा पटल पर रखे जाने तक, प्रत्येक चरण के लिए लक्ष्य तिथियों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार तैयार की गई समय सारणी का भविष्य में कड़ाई से पालन किया जाये।

सरकार का उत्तर

यह नम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि लेखापरीक्षित लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रासंगिक अवधि के दौरान मौजूदा परिस्थितियों के कारण जीकेके के वार्षिक प्रतिवेदन को संसद में सभा पटल पर रखने में देरी हुई। इस मंत्रालय द्वारा जीकेके को सलाह दी गई है कि वह भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने और इस मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए इस विभाग द्वारा निर्धारित समय सारिणी का सख्ती से पालन करे।

(कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का.ज्ञा. संख्या 29/04/2020-कल्याण दिनांक 14.01.2022)

सिफारिश/टिप्पणी क्रमांक 19

समिति को आगे बताया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए विलंब भुगतान मोड के मैन्युअल प्राप्तियों से ऑनलाइन मोड में संक्रमण के कारण था। तथापि, समिति नोट करती है कि वर्ष 2017-18 और 2018-19 में देरी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त न होने के कारण हुई थी। इसलिए, समिति मंत्रालय को लेखापरीक्षा प्रक्रिया में देरी के मामले को लेखापरीक्षा अधिकारियों के साथ उठाने की सिफारिश करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लंबित लेखापरीक्षा कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और भविष्य में ऐसा कोई विलंब न हो।

सरकार का उत्तर

जीकेके के वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे, विलंब विवरण के साथ, पहले ही 22.12.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखे जा चुके हैं। हालांकि, इसे लोकसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका क्योंकि लोकसभा को 22.12.2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए जीकेके के वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि दोनों वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है जिसे शीघ्र ही जीकेके बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद इसे आगामी संसद सत्र में दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।

(कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का.ज्ञा. संख्या 29/04/2020-कल्याण दिनांक 14.01.2022)

सिफारिश/टिप्पणी क्रमांक 20

समिति नए ऑनलाइन पोर्टल के कुशल उपयोग में अपने कर्मचारियों और लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से अवगत कराना चाहती है। समिति सिफ़ारिश करती है कि ऐसा प्रशिक्षण प्रत्येक संबंधित कर्मचारी और लेखा परीक्षक के लिए आयोजित किया जाए। समिति आगे सिफारिश करती है कि पोर्टल के मुद्दों को इस पोर्टल से संबंधित डेवलपर्स के साथ समयबद्ध तरीके से उठाया जाए।

सरकार का उत्तर

जीकेके की वेबसाइट का निर्माण अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया गया है। भुगतान गेटवे को वेबसाइट के साथ जोड़ने का मामला जीकेके द्वारा विक्रेता के साथ त्वरित कार्रवाई के लिए उठाया जा रहा है।

वेबसाइट के पूर्ण होने और संचालन के बाद, जीकेके के प्रत्येक कर्मचारी के साथ-साथ संबंधित लेखा परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का.ज्ञा. संख्या 29/04/2020-कल्याण दिनांक 14.01.2022)

सिफारिश/टिप्पणी क्रमांक 21

समिति मंत्रालय को यह नोट करने के लिए ज़ोर देती है कि देरी के मामले में, अपरिहार्य कारणों से, वार्षिक प्रतिवेदन और उसके नियंत्रण में किसी भी संगठन/समाज/संस्था के लेखा परीक्षित लेखाओं को रखने में, कारणों को बताते हुए एक बयान क्यों आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय अवधि के भीतर नहीं रखे जा सके, उन्हें 30 दिनों के भीतर सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए, जैसा कि समिति ने अपनी पिछली प्रतिवेदनों में सिफारिश की थी।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफ़ारिश/टिप्पणियों को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। यदि इस प्रभाग के नियंत्रणाधीन किसी संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे रखने में विलम्ब होता है, तो विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विलम्ब विवरण समिति द्वारा अनुशंसित निर्धारित अवधि के भीतर सदन के पटल पर रखा जाएगा।

(कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का.ज्ञा. संख्या 29/04/2020-कल्याण दिनांक 14.01.2022)

*****

परिशिष्ट-दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)

समिति की 22.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश का उद्धरण

समिति की बैठक, मंगलवार, 22 मार्च 2022 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष ' ख', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. चौधरी अली केसर महबूब
5. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
6. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुन्दर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - सहायक निदेशक

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

X X X X X

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित **निम्नलिखित** चार (04) प्रारूप **प्रतिवेदनों** को विचार करने के लिए लिया :-

(एक)**X** **X** **X** **X** **X**

(दो) गृह कल्याण केंद्र (जीकेके), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में समिति द्वारा अपने 38वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।]

(तीन)**X** **X** **X** **X** **X**

(चार) **X** **X** **X** **X** **X**

4. विचार विमर्श के पश्चात, समिति द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन और की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकर कर लिया गया है और समिति द्वारा सभापति को, प्रतिवेदन / की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों (वर्णनात्मक भाग) के तथ्यात्मक सत्यापन के अनुसार इन प्रतिवेदनों/की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को तैयार करने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. समिति ने इन प्रतिवेदनों को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

X **X** **X** **X** **X**

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।